फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थीः—भमरी विपक्षीः— मिश्री

किस्म मुकदमाः—प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्याः—94/19 सनः— 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	28.01.2020 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण में वर्ष 2014 से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षीगण की तलबी नहीं करायी गयी है, एवं बार—बार तलबी हेतु अवसर चाहा गया है। न्यायालय द्वारा तलबी हेतु समुचित अवसर दिया गया, किन्तु 4 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजुद प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षीगण की तलबी नहीं करायी गयी। आज भी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा सम्मन प्रोसेस पेश नहीं किये गए, जिससे जाहिर है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गम्भीर नहीं है एवं इस प्रकरण में जानबुझकर प्रभावी पैरवी नहीं करना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्टेज पर अदम तामील अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) गिर्वा – उदयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.25 14:23:30 IST
Reason: SelfAttested